कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणीप्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक), छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपुर

ईमेल – pccfwildlifecg@gmail.com (Ph. 0771-2552228, Fax. 0771-2552227)

क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध–73/58 रायपुर दिनांक 05/01/2017

प्रति,

1) **मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं परियोजना संचालक**
उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर
अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर
इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर

2) **मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)**
रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/सरगुजा/कांकेर/दुर्ग

3) **वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक**
एलीफेंट रिजर्व, सरगुजा वृत्त अंबिकापुर

4) **समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)**

5) **संचालक, राष्ट्रीय उद्यान**
कांगेर घाटी/गुरूघासीदास

6) **उप संचालक**
उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद
अचानकमार टायगर रिजर्व, लोरमी
इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर
एलीफेंट रिजर्व, सरगुजा वृत्त अंबिकापुर
(छ.ग.)

नि.स./स्था.

06/01

Addl. P.C.C.F. (HRD/IT)
Chhattisgarh, Raipur

विषय– वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5 (2) के अंतर्गत शक्तियों को प्रत्यायोजन के संबंध में।

संदर्भ– छ.ग.शासन वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर छ.ग. का पृष्ठां पत्र क्र. एफ 8–9/2016/10–2 दिनांक 26.12.2016

––00––

वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में गति लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 26.12.2016 के द्वारा **वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5 (2) एवं वन्यप्राणी (संव्यवहार एवं चर्मशोधन) नियम 1973** के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों में संशोधन किया गया है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अतः छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार–04 पृष्ठ।

(एस.के.सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़, रायपुर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रा.सं.वि./सूचना) ... 56 ... 6.1.17 ... छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध–73 / 59 रायपुर दिनांक 05/01/2017

प्रतिलिपि :–

1 समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (छ.ग.) रायपुर

2 समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक (ईको–टूरिज्म), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) (छ.ग.) रायपुर

प्रतिलिपि :–

1 निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (छ.ग.) रायपुर

2 निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) (छ.ग.) रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक /12/2016

कमांक एफ 8–9/2016/10–2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 एवं 1973 की धारा 5(2) के अंतर्गत वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के कियान्वयन में गति लाने के उद्देश्य से संलग्न सूची अनुसार अधिकारों एवं शक्तियों को क्षेत्रीय अधिकारियों के पक्ष में प्रत्यायोजित करता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

/

(एम.एन.राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठां. कमांक एफ 8–9/2016/10–2 नया रायपुर, दिनांक 26/12/2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नया रायपुर,
3. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, वन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर,
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर,
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर,
7. समस्त संभागीय आयुक्त छत्तीसगढ़,
8. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

9. आदेश फोल्डर ।

MAIN CCF (T/WL), DFOs को आज ही भेजें।
प्रबंध | circular 2016

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी–स्थापना)
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)
आ.क्र. 23
दिनांक 03-01-2017
छत्तीसगढ़, रायपुर

वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5 (2) के अंतर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन

क्र.	धारा	शक्ति/दायित्व का विवरण	जिस अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाना है उसका पदनाम	प्रत्यायोजन की सीमा	विशेष
1	धारा 11(1) b	अनुसूची ii,iii, एवं IV विनिर्दिष्ट वन्य पशु के मानव जीवन या सम्पत्ति के लिए खतरनाक बन जाने पर या अशक्त या रोग ग्रस्त हो जाने पर उसे मारने की अनुमति देना।	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)/मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)		
2	धारा 11(1) b	अनुसूची iii के वन्यप्राणी नीलगाय (Boselaphus tragocamelus) एवं जंगली सुअर (Sus scrofa) जो मानव जीवन या सम्पत्ति के लिए खतरनाक बन जाने पर या अशक्त या रोग ग्रस्त हो जाने पर उसे मारने की अनुमति देना।	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय),		
3	धारा 27 (b)	अभ्यारण्य के अंदर रहने की अनुमति देना।	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) वन संरक्षक(वन्यप्राणी)		
4	धारा 28 (b),(d),(c)	(b) फोटोग्राफी (d) पर्यटन (e) मृग वन में निवास करने वाले किसी व्यक्ति से वैधानिक व्यापार का सौदा करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करना।	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) वन संरक्षक(वन्यप्राणी)		
5	धारा 31	हथियार के साथ अभ्यारण्य में प्रवेश करने की अनुमति देना।	वनमंडलाधिकारी, संचालक राष्ट्रीय उद्यान, उप संचालक टायगर रिजर्व, उप संचालक एलीफेंट रिजर्व		
6	धारा 33	अभ्यारण्यों पर नियंत्रण	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) वन संरक्षक(वन्यप्राणी),		
7	धारा 34 (1) एवं (2) & (3)	शस्त्र रखने वाले व्यक्तियों के पंजीयन का अधिकार–	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), वन संरक्षक (वन्यप्राणी), संचालक राष्ट्रीय उद्यान, वनमंडलाधिकारी		
8	धारा 39 (2)	प्राप्त शासकीय संपत्ति की सूचना प्राप्त करने एवं संपत्ति का समर्पण स्वीकार करने के लिये अधिकृत अधिकारी	वन परिक्षेत्र अधिकारी, (क्षेत्रीय/रा.उ./अभ्या.), परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी वन विकास निगम		
9	धारा 39 (3)	शासकीय संपत्ति प्राप्त करने रखन, स्थानान्तरित एवं हस्तातंरित करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत अधिकारी	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), वन संरक्षक (वन्यप्राणी)		
10	धारा 40 (1) एवं (4)	वन्यप्राणी सामग्री की घोषणा प्राप्त करने के लिये अधिकृत अधिकारी	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), वन संरक्षक(वन्यप्राणी), वनमंडलाधिकारी		
11	धारा 40 (2)	उपधारा में वर्णित सामग्री की प्राप्ति, क्रय विक्रय, स्थानान्तर/हस्तान्तरण की अनुमति देने के लिए अधिकृत अधिकारी	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), वन संरक्षक (वन्यप्राणी), वनमंडलाधिकारी		

क्र.	धारा	शक्ति / दायित्व का विवरण	जिस अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाना है उसका पदनाम	प्रत्यायोजन की सीमा	विशेष
12	धारा 40 (3-B)	उत्तराधिकार से प्राप्त सामग्री की घोषणा प्राप्त करने के लिये अधिकृत अधिकारी	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), वन संरक्षक (वन्यप्राणी), वनमंडलाधिकारी		
13	धारा 41 (1)	जॉच करने के लिये अधिकृत अधिकारी	वनक्षेत्रपाल / परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी वन विकास निगम से अनिम्न अधिकारी,		
14	धारा 42	आधिपत्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधिकृत अधिकारी	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), वन संरक्षक (वन्यप्राणी)		
15	धारा 50 (4)	गिरफ्तार व्यक्ति या जप्त की गई सामग्री की सूचना प्राप्त करना।	संचालक राष्ट्रीय उद्यान, उप संचालक टायगर रिजर्व, वनमंडलाधिकारी		
16	धारा 50 (6)	धारा 50 में जप्त की गई सामग्री का निर्वर्तन।	वनमंडलाधिकारी	अनुसूची– एक	
			उप प्रबंधक वन विकास निगम, उप वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय), सहायक संचालक (रा.उ. / टायगर रिजर्व), अधीक्षक (अभ्यारण्य)	अन्य अनुसूची	
17	धारा 50 (8)	अपराधों की जॉच, गवाहों को बुलाने आदि संबंधित सभी शक्तियां जो इस उप धारा में उल्लेखित है।	सहायक संचालक (रा.उ. / टायगर रिजर्व), उप प्रबंधक वन विकास निगम, समस्त उप वनमंडलाधिकारी, अधीक्षक (अभ्यारण्य)		
18	धारा 54	अपराधो का प्रशमन	उप वन संरक्षक के स्तर के अधिकारी		
19	धारा 55 (b)	न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान–जिस अधिकारी की शिकायत पर लिया जाना (b) न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत करना।	वन परिक्षेत्र अधिकारी, परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी वन विकास निगम, उप निरीक्षक पुलिस से अन्निन अधिकारी ,		
20	धारा 58 D	सक्षम प्राधिकरण	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक	राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त	
21	धारा 58 E	अवैध रूप से प्राप्त सम्पत्ति की पहचान।	पुलिस उप महा निरीक्षक	राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त	
22	धारा 58 G	जप्त संपत्ति का प्रशासक	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), वन संरक्षक (वन्यप्राणी)	राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त	

क्र.	धारा	शक्ति/दायित्व का विवरण	जिला अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाना है उसका पदनाम	प्रत्यायोजन की सीमा	विशेष
	वन्यप्राणी (संव्यवहार और चर्मशोधन) नियम, 1973				
23	नियम 2 (d)	पदाधिकारी के समस्त दायित्व	समस्त वनमंडलाधिकारी या संचालक राष्ट्रीय उद्यान, उप संचालक टायगर रिजर्व या उनके उच्चाधिकारी		

टीपः—"यह आदेश उन कार्यवाहियों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा या प्रभावित नहीं करेगा, जो कार्यवाहियां चल रही है या जिनके परिणामस्वरूप किसी अधिकारी द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही की जा चुकी है ।"

(एम.एन.राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग